
	कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर (पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर 302015)
	दिनांक: ४/३/२०२३ एफ-५(कार्मिक/साप्र./ननिगेज/२०२३./६५५

कार्यालय आदेश


राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम २०१३ के नियम १७ (१) (क) के अनुसरण में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यक्षीन श्री कैलाश ईण्डानिया (संचालित निदेशक विधि) को नगर निगम ग्रेटर जयपुर में सलाहकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यग्रहण करने की दिनांक से ०६ माह के लिए ५०,०००/-रु मासिक मानदेय का भुगतान उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


 (महेन्द्र सोनी)
 आईएएस
 आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

१. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
२. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
३. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
४. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
५. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
६. लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
७. कार्यालय अधीक्षक मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
८. संस्थापन लिपिक
९. संबंधित श्री.....
१०. गार्ड फाईल


 आयुक्त
 नगर निगम ग्रेटर जयपुर